भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 93.

दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

किसानों द्वारा विरोध

†93. श्री के. मुरलीधरनः
श्री के. सुधाकरनः
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकरः
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली सीमा पर सितम्बर से दिसम्बर 2020 के बीच हाल ही में पारित किसान कानूनों के विरुद्ध विरोध कर रहे किसानों के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध करने वाले किसानों पर आंसू गैस का उपयोग और लाठी चार्ज करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली की सीमा पर मरने वाले अथवा आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या के बारे में जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अपराधों की जांच, पंजीकरण/अभियोजन, अपराधियों की दोषसिद्धि तथा जान और माल आदि की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है।

केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर सतत नजर रखती है और आकस्मिक स्थिति में उपयुक्त कार्रवाई करती है। अन्य उपायों के रूप में, जब कभी आंतरिक सुरक्षा के प्रति कोई खतरा महसूस होता है, तो विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट और एडवाइजरी जारी की जाती है। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी उपलब्ध कराती है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संबंध है, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली की सीमा पर सितम्बर से दिसम्बर, 2020 के बीच हाल ही में पारित "कृषि कानूनों" का विरोध कर रहे किसानों के विरूद्ध 39 मामले पंजीकृत किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान उन्हें आत्महत्या के एक मामले की सूचना मिली है।

जहां तक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस द्वारा आंसू गैस का प्रयोग करने और लाठी-चार्ज करने का संबंध है, दिल्ली पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में प्रदर्शनकारी किसानों के बड़े काफिले ने हाल ही में अधिनियमित 'कृषि कानूनों' के विरूद्ध अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में प्रवेश करने हेतु उग्र रूप से अपना रास्ता बनाने और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने का प्रयास किया। उन्होंने आक्रामक रूप से दंगा किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और लोक सेवकों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा, किसानों/प्रदर्शनकारियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया और वे कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच बिना फेस मास्क के बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। किसानों की इन कार्रवाइयों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, वॉटर कैनन और हल्के बल प्रयोग का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था।

*****